न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 119/2024

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. खुमाराम पुत्र हुकमाराम 2. हीरों कुमारी पुत्री हुकमाराम जाति जाट निवासी कागों की ढाणी तहसील सिणधरी	1. हुकमाराम पुत्र डूँगराराम जाति जाट निवासी कागों की ढाणी तहसील सिणधरी 2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 2 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 06.03.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थीगण श्री जोगराज पोटलिया द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी वकील ने तर्क दिए कि कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमानजी के [illegible]श किया है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को [illegible] पूर्ण सम्भावना है। कि सरहद मौजा–कागों की ढाणी में खसरा संख्या [illegible]2 रकबा 37.7479 हैक्टेयर पटवार सर्किल–पायलां कलां, [illegible]र्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 के पुर्वज के समय से संयुक्त व पुश्तेनी का खातेदारी खेत आया हुआ है कि प्रार्थीगण के. दादा व विप्रार्थी संख्या 1 के पिता डूगराराम की मृत्यु हो जाने पर उनकी फौतगी पर पटवारी पायलां कलां के द्वारा जो नामान्तरकरण भरा गया था जिसमें प्रार्थी का नाम नही आया था। लेकिन वर्तमान में प्रार्थी के अन्य भाई अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:15:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

पिता हुकमाराम मिले हुए है और अपने पिता को अपने साथ रखते है और अपने पिता की उम्र का, उनके नशा करने की आदत होने व दिमागी हालत सही नही होने का फायदा लेते हुए उनकी जमीन को बेचान करने पर उतारू है और हुकमाराम के द्वारा जमीन का कुछ हिस्सा पूर्व में दिनांक 13–05–2024, 14–06–2024 को बेचान भी किया जा चुका है। और प्रार्थी को चार दिन पहले धमकी दी है कि हम खुमाराम की पुरी जमीन को हमारे पक्ष में या अजनबी विक्रेता को बेचान करवा कर तुम्हें अपने हक से वचिंत कर देगें। कि प्रार्थीगण मजदुर व गृहणी और अन्य नाबालिग व आर्थिक रुप से कमजोर होने के कारण व इनकी मां भी मानसिक रुप से कमजोर व भोले स्वभाव की होने के कारण विप्रार्थी हुकमाराम को अन्य सहखातेदार, पड़ौसी व अजनबी लोग मिलकर कर अपने पिता से उनके पक्ष में गलत बेचान करवा देगे तो अनावश्यक रुप से वाद को बढावा मिलेगा और प्रार्थीगण के हितों पर भारी कुठाराघात होगा, जिसकी पूर्ति भविष्य में नकदी में संम्भव नहीं है। और प्रार्थीगण जो अपनी पैतृक खातेदारी के हक से वचित रह जायेगें। इस प्रकार वादग्रस्त खेत उनके पूर्वजो का होने से उनके खातों में संयुक्त हिस्सा दर्ज है लेकिन वर्तमान में खातेदार अधिक है और विप्रार्थी हुकमाराम सयुक्त खातेंदारी की भूमि को बिना बंटवाड़ा कराये बेचान करने पर उतारु है और रोड़ के नजदीक व अच्छी किस्म की भूमि पर अपने हिस्से से अधिक भूमि पर अजनबीगण को कब्जा करने का प्रयास कर रहें है। विप्रार्थी अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर काश्त कर लेते है और वर्तमान मे बिना किसी प्रकार का बंटवाड़ा कराये विप्रार्थी के द्वारा अवैध रुप से बाड़ बनाकर अपने कब्जे का विस्तार किया जा रहा है विप्रार्थी वादग्रस्त खेतो मे अपने कब्जे काश्त से हटकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल दे रहे है कि प्रथम दृष्टया याद, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीण क्षति उक्त तीनो बातें प्रार्थीगण के पक्ष में है। स्टे नही मिलने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में संम्भव नही है। और प्रार्थीगण के वाद लाने का मकसद ही खत्म हो जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का आवेदन स्वसीकार करते हुए वाद के निर्णय तक विप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध ग्राम कागों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 328/2 रकबा 37.7479 हैक्टेयर, तहसील–सिणधरी, जिला–वालोतरा में रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने, और किसी प्रकार का बेचान नही करने का तौसला मुलवाद अस्थायीं निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की नामान्तकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा विवाद का मुख्य कारण खातेदारी [illegible] समझौता के आधार पर निर्धारण की होने से उसका निपटारा [illegible] में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत सुनवाई [illegible] किया जाना है। [illegible]ंकि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है तथा सलंग्न दस्तावेजी [illegible] सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। यदि दौरान वि[illegible] वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्दोबदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:15:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदंगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्यता प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 01 को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा कागों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 328/2 रकबा 37.7479 हैक्टेयर, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा के प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, बेचान अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:15:47 IST
Reason: SelfAttested